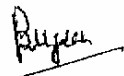


उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-587/ग्यारह-7(103)/91-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(112)-2014
लखनऊ, दिनांक: 12 जून, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-409/ग्यारह-7(103)/91-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(88)-2013 दिनांक 28 मार्च, 2013 को विखण्डित करते हैं।

आज्ञा से,

(एस0 एन0 प्रसाद)
सचिव।